N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0298 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/12/2024 19:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 19/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:45 बजे **Time To (समय तक):** 18:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/12/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/12/2024 19:24:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** UPKHAND KARYALY PEESANGAN, DISTRICT AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VISHNU KANWAR

(b) **Wife's Name (पत्नी का नाम):** BHUPENDRA SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 30/09/1977 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KANOJ, केकड़ी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KANOJ, केकड़ी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ROOP SINGH RATHOR URF ROOP JI		पिता:DALPAT SINGH	1. VAYA KDAIL,MUKAM POST CANVLAYE,PUSHKER,AJMER, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 18.09.2024 को परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर पत्नी श्री भुपेन्द्र सिंह जाति राजपुत उम्र 37 वर्ष निवासी कणोज तहसील व जिला केकडी, राजस्थान ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं अधिवक्ता विष्णु कंवर ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी पीसांगन में पेश किया, जो कि उमेश बनाम दुर्गादेवी वगैरह के नाम से प्रस्तुत किया। जिसमें मैं वादीगण उमेश व हेमन्त की तरफ से मैंने अपना वकालत नामा पेश किया, जो कि दिनांक 17.09.2024 की उमेश बनाम दुर्गा देवी की फाइल पेश की, जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी कराना था। न्यायालय कार्यालय में मुझे वहां कार्यरत श्री रूप जी नाम का कर्मचारी मिला, उसने मुझे कहा 30,000 रूपये दोगी तो मैं एसडीएम साहब से तुरन्त स्टे दिला दूंगा। मैं मेरे वादीगण के वाजिब काम स्टे के लिए रिश्वत नहीं देना चाहती हूं। रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे। रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रारंभ कर श्रीमति विष्णु कंवर से दरिफती की तो बताया कि मैने ये रिपोर्ट स्वयं लिखी है। मजिद दरियाफ्त पर श्रीमति विष्णु कंवर ने बताया कि मैं मेरे प्रार्थीगण श्री उमेश पुत्र श्री रामगोपाल व हेमन्त पुत्र रामगोपाल जाति प्रजापत निवासी अर्जुनपुरा खालसा तहसील पीसांगन जिला अजमेर की अधिवक्ता हूं। उनके द्वारा वकालातनामा पर हस्ताक्षर कर मुझे अपना वाद पेश करने हेतु अधिकृत करने पर मैने उपखण्ड अधिकारी पीसांगन जिला अजमेर के न्यायालय में दिनांक 17.09.2024 को दुर्गादेवी वगैरह के खिलाफ राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 की तहत वाद व राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 181 के तहत निषेधाज्ञा हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया। न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी द्वारा वाद व निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा उस पर पृष्ठांकन कर अपने पास रख लिया तथा उस पर 23.09.2024 की तारीख नियत की। उपखण्ड अधिकारी उठकर अपने कक्ष में चले गए। मैं न्यायालय कक्ष में थी, वहां मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने स्वयं को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पीसांगन का कर्मचारी होना बताया। उसने अपना नाम रूप जी बताया और वहीं का कर्मचारी होना बताया। उसने मुझे कहा आपके प्रार्थना पत्र पर तुरन्त निषेधाज्ञा लेनी है तो कुछ खर्चा-पानी देना पडेगा। मैंने कहा क्या तो उसने मुझे कहा कि अर्जुनपुरा साईड की जमीन है तो उसके हिसाब से ही लगेंगे। उसने मुझे कहा कि कम से कम 30,000 रूपये देने पडेंगे। मैंने कहा मेरे पास तों नहीं है देने को। मैंने रूप जी से कहा कि मुझे साहब से मिलवा दो। तो रूप जी मुझे एसडीएम साहब के चेम्बर में लेकर गए तो मैंने एसडीएम साहब से निवेदन किया कि मुझे उमेश बनाम दुर्गादेवी वगैरह में स्टे देने की कृपा करे। तो एसडीएम साहब ने कहा देखते है, फाइल रखी है। फिर मैं बाहर आ गई। थोडी देर बाद रूप जी भी आ गए। उन्होने मुझसे कहा कि पैसे दोगी तो तुरन्त ही स्टे दिलवा दूंगा साहब से, नहीं तो साहब ऐसे तो नहीं मानेंगे। उन्होनें 30,000 रूपये रिश्वत की मांग करी। रूप जी ने कहा कि मैं मेरे हिसाब से साहब से कह दूंगा व आपके लिए कुछ कम में ही करा दूंगा। मैं मेरे मुव्वकिल उमेश व हेमन्त की अधिवक्ता हूं । मेरे वादिगण के द्वारा जो मेरे द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया, उसके लिए मैं रिश्वत नही ंदेना चाहती हूं और रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चाहती हूं। श्रीमति विष्णु कंवर ने कहा कार्यालय बन्द हो जाएगा, विलंब होने पर रूप जी मुझे मिलेंगे नहीं। इसलिए प्रार्थियां के कहेनुसार तुरन्त मांग सत्यापन वार्ता कराने का निर्णय लिया गया। रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराना उचित समझता हूं। श्री रविन्द्र कानि0 308 को कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिचय श्रीमति विष्णु कंवर से कराया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु पीसांगन जाने के निर्देश दिए। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकालकर उसके संचालन की प्रक्रिया प्रार्थियां व रविन्द्र सिंह कानि0 को समझाई गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में खाली मैमोरी कार्ड डालकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु कार्यालय से 02ः45 पीएम पर हर दोनों को कार्यालय से रवाना किया। कुछ समय पश्चात् कानि0 श्री रविन्द्र सिंह व विष्णु कंवर कार्यालय में उपस्थित हुई। श्रीमति विष्णु कंवर ने बताया कि मैं व रविन्द्र सिंह दोनो रविन्द्र सिंह की निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर पीसांगन एसडीएम कार्यालय के पास पहूंचे। कार्यालय से कुछ ही दूरी पर श्री रविन्द्र सिंह ने मुझे डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर एसडीएम कार्यालय पीसांगन रवाना किया। मैं एसडीएम कार्यालय में पहूंची वहां एसडीएम कक्ष से रूप जी कार्यालय के बाहर आया। जहां बातचीत करते हुए हम दोनो एसडीएम न्यायालय में पहूंचे। वहां अन्य कार्मिक भी बैठे थे तथा अधिवक्ता आ जा रहे थे। हमारी बातचीत के दौरान अन्य व्यक्तियों के पास ही बैठकर बोलने के कारण उनकी आवाज भी रिकार्ड हुई है। उसने बातचीत के दौरान मुझसे मेरे द्वारा प्रस्तुत वाद में एसडीएम साहब से स्टे दिलाने के लिए 30,000 रूपये की मांग की। मेरे द्वारा कम करने का निवेदन करने पर 15,000 रूपये की मांग की। मैंने उसे एसडीएम साहब से

मिलाने के लिए कहा तो उसने कहा साहब डायरेक्ट बात नहीं करते है। मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। उस समय श्री रूप जी एसडीएम कार्यालय में काम करते समय वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों से बातचीत कर रहा था। मैं वहां से वापस श्री रविन्द्रसिंह कानि0 के पास पहूंची तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर उन्हे सुपूर्द किया। उन्होने स्विच ऑफ कर अपने पास रखा। श्री रविन्द्रसिंह कानि0 ने स्विचऑफशुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया व उपरोक्त बातों की ताईद की। डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर सुना तो इसमें कई व्यक्तियों की बातचीत रिकार्ड है, जिसमें एक महिला की व शेष पुरूषों की आवाज है। वार्ता में एक व्यक्ति ने प्रार्थियां से एसडीएम साहब से स्टे दिलाने के नाम पर 30,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। प्रार्थियां द्वारा कम करने का कहने पर 15,000 रूपये की मांग करना पाया गया। अग्रिम कार्यवही बाबत श्रीमति विष्णु कंवर को रिश्वत में दी जाने वाली 15,000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करने हेतु कहा तो उसने कहा कि कल दिनांक 19.09.2024 को मैं मेरे निजी काम से केकडी जाउंगी। मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में आईन्दा आउंगी। फिर कहने लगी इस कार्यवाही में एसडीएम पीसांगन को भी पकडना है, इस पर प्रार्थियां को समझाईश की कि रिश्वत राशि के बारे में एसडीएम पीसांगन से आपकी कोई वार्ता नही ंहुई है तथा रूप जी ने भी एसडीएम पीसांगन से वार्ता करने से इन्कार कर दिया। यदि आप चाहे तो पुनः डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर एसडीएम पीसांगन से स्वयं रिश्वत राशि के बारे में वार्ता कर सकती है। तो विष्णु कंवर ने आगे कोई भी वार्ता करने जाने से इन्कार कर दिया। समस्त हालात श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। दिनांक 19.09.2024 को श्री रविन्द्र सिंह कानि0 से प्रार्थियां से वार्ता करा अग्रिम कार्यवाही के बारे में बातचीत की तो उसने कहा मैं शाम तक आपके कार्यालय में आउंगी। उसे अवगत कराया कि सूर्यास्त से पूर्व कार्यालय में आवें। इसी दिन कानि0 श्री रविन्द्र सिंह ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैंने कुछ देर पूर्व प्रार्थियां विष्णु कंवर से कार्यालय में आने के बारे में बातचीत की तो उसने कहा मैं मेरे हिसाब से आउंगी। इस पर प्रार्थियां का 06ः25 पीएम तक इन्तजार किया परन्तु वह कार्यालय में नहीं आई तथा कोई सूचना भी नहीं दी। दिनांक 20.09.2024 को श्री रविन्द्र कानि0 ने मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि दिनांक 19.09.2024 को करीब 06ः35 पीएम पर श्रीमति विष्णु कंवर कार्यालय में आई तथा मुझे कहा रिश्वत राशि की तो व्यवस्था आप अपने स्तर पर कहीं से करो, मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं कर सकती, इस पर विष्णुकंवर को अवगत कराया कि रिश्वत राशि परिवादी ही ब्यूरो को देता है। फिर भी आप इस बारे में अधिकारियों मे विचार-विमर्श कर लेना। उसने कहा मैं इस बारे में प्रयास कर कल दिनांक 20.09.2024 को कार्यालय में आउंगी तथा कार्यालय से स्वतः रवाना हो गई। दिनांक 20.09.2024 समय 12ः10 पीएम पर प्रार्थियां विष्णु कंवर कार्यालय में उपस्थित हुई। कार्यवाही के समस्त हालात श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किया । श्रीमति विष्णु कंवर ने अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया कि मेरे पास रिश्वत में दी जाने वाली राशि नहीं है। आप अपने स्तर पर कही सें रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दो। इस पर प्रार्थियां को समझाईश की कि हमारे स्तर पर रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हो सकती है। रिश्वत राशि की व्यवस्था परिवादी ही करता है। आपके द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि के बदले पुनः राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही के पश्चात शीघ्र ही रिवॉल्विंग फण्ड से राशि दिलाने की तुरन्त कार्यवाही की जाएगी। प्रार्थियां को अवगत कराया कि आपने रिपोर्ट दी उस समय भी इस बारे में आपको अवगत करा दिया गया था, परन्तु प्रार्थियां विष्णु कंवर ने कहा मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं कर सकती हूं। प्रार्थियां को अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आया। प्रार्थियां विष्णु कंवर को समझाया गया कि रिश्वत राशि का मांग सत्यापन हो चुका है। यदि आप रिश्वत राशि पेश करे तो आगे कार्यवाही संभव है, तो उसने कहा रिश्वत राशि की व्यवस्था तो आपके कार्यालय द्वारा करनी चाहिए। प्रार्थियां को समझाया कि आप स्वयं एक अधिवक्ता है, विधिसम्मत कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि का पेश किया जाना आवश्यक है व आपकी मौजूदगी में वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जानी आवश्यक है, तो विष्णु कंवर ने कहा आज मेरे कोई आवश्यक काम है, मैं मेरे हिसाब से इस काम के लिए कभी आउंगी व कार्यालय से 02ः15 पीएम पर रवाना हो गई। परिवादियां को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। कार्यवाही के समस्त हालात श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को निवदेन किया। समय 05ः40 पीएम पर परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर एक व्यक्ति के साथ पुनः मन् उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय मे उपस्थित हुई। साथ में आए व्यक्ति को अपना परिचित अधिवक्ता होना बताया। उन्होनें अपना नाम श्री अरूण शर्मा होना बताया। परिवादियां ने बताया कि यह मेरे विश्वसनीय वरिष्ठ अधिवक्ता है, इसलिए मैं इन्हे साथ लेकर आई हूं तथा इनको सहयोग हेतु साथ लेकर आई हूं। इस पर उसे अवगत कराया कि अभी तक यह कार्यवाही गोपनीय है। यदि आपका विश्वसनीय व्यक्ति है तथा कार्यवाही में सहयोगी बनना चाहता है तो आप एक प्रार्थना पत्र पेश करे तथा श्री अरूण शर्मा कार्यवाही में सहयोगी बनने हेतु अपनी सहमति लिखित में दे। तो परिवादियां व स्वयं अरूण शर्मा ने इस बारे में मना कर दिया। परिवादियां ने पुनः जोर देकर कहा कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि की एक बार आप व्यवस्था करके दे दो। मेरे पास नहीं है। इस पर परिवादियां को अवगत कराया कि रिश्वत राशि परिवादी द्वारा ही पेश की जाती है। उसे अवगत कराया कि रिपोर्ट देते समय भी आपको यह जानकारी भली-भांति दी गई थी। साथ आए अधिवक्ता तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादियां को कानून के बारे में समझाया। थोडी देर बाद परिवादियां ने कहा कि मैं प्रयास कर दो-तीन दिन में रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 23.09.2024 को कार्यालय में उपस्थित होउंगी। परिवादियां व साथ आए अधिवक्ता को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। परिवादियां ने कहा कि मैं दिनांक 23.09.2024 को 10ः00 एएम

पर यहां आउंगी, पहले रिकार्ड वार्ता को सुनूगी तथा उसका रिकार्ड तैयार करेंगे। समय 06०:35 पीएम पर परिवादियां व उसके साथ अधिवक्ता कार्यालय से रवाना हो गए। समस्त हालात श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर ने दिनांक 23.09.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का कहा है। अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध कराने एक पत्र अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्णाण विभाग नगर, अजमेर के नाम मूर्तिब कर गवाहान तलब करने की हिदायत देकर कार्यालय में संभलाया गयां व मन् पुलिस उप अधीक्षक श्रीमान् महानिदेशक, भ्रनिब्यूरो, राज0 जयपुर की वीसी में शामिल रहा। दिनांक 23.09.2024 समय 11०:00 एएम पर कार्यालय में परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर व तलविदा गवाहान श्री विनोद रावत व श्री दीपक सक्सेना कार्यालय में उपस्थित मिले। स्वतंत्र गवाहान का परिचय पूछा तो श्री विनोद रावत पुत्र श्री कमल जाति रावत उम्र 24 वर्ष निवासी जाटिया थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्णाण विभाग नगर, अजमेर मो0न0 [redacted] व श्री दीपक सक्सेना पुत्र श्री हरिहर नाथ सक्सेना जाति कायस्थ उम्र 46 वर्ष निवासी न्यू आरपीएससी भवन की पीछे जयपुर रेड, अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्णाण विभाग नगर, अजमेर मो0न0 [redacted] होना बताया। हर दोनो का परिचय परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर से कराया। दोनो गवाहान को विष्णु कंवर द्वारा दिनांक 18.09.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों को पढाया गया तथा पूर्व में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के बारे में बताया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता के कुछ अंश सुनाए गए। दोनो ने कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की तथा अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान बनने हेतु सहमति दी। श्रीमति विष्णु कंवर ने बताया कि मैं आज रिश्वत में दी जाने वाली 15,000 रूपये राशि नगद लेकर आई हूं। परन्तु पहले मैं रिकार्ड वार्ता को सुन-सुनकर ट्रान्सक्रिप्ट तैयार कराउंगी। इस पर हालात श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए। परिवादियां, उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को उसमें डालकर स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनना प्रारंभ किया गया। रिकार्ड वार्ता की श्री चतुर्भुज, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा एक फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करना प्रारंभ की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता शब्द-ब-शब्द परिवादियां, गवाहान को सुनाकर श्री चतुर्भुज, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से तैयार कराई गई। मांग सत्यापन के मूल मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट किया गया। वार्ता के दो पेन ड्राइव तैयार किए गए, जिसमें एक को आरोपी के लिए व एक अनुसंधान अधिकारी के लिए रखा जाएगा। ट्रान्सक्रिप्ट की कार्यवाही 05०:35 पीएम पर पूर्ण हुई। मैमोरी कार्ड का सिल्डशुदा पैकेट जमा मालखाना कराया गया। समय 05०:45 पीएम पर परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर ने बताया कि अब श्री रूपजी के उपखण्ड कार्यालय पीसांगन में मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि कार्यालय समय पूर्ण होने जा रहा है। उसने मुझे कार्यालय में ही मिलने हेतु कहा गया था। पीसांगन यहां से करीब 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रूपजी मुझे उपखण्ड कार्यालय पीसांगन में ही मिलेगा। आज वहां पहूंचने में अंधेरा हो जाएगा। इसलिए रूपजी की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही कल करना उचित रहेगा। परिवादियां को कल रिश्वत राशि लेकर आने हेतु हिदायत दी गई व गवाहान को रवाना किया गया। समस्त हालात श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किया गया। दिनांक 24.09.2024 समय 10०:15 एएम पर परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर कार्यालय में हाजिर आई तथा बताया कि मैं 15,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर आई हूं व गवाह श्री दीपक सक्सेना व श्री विनोद रावत कार्यालय में हाजिर आए। उन्हे परिवादियां से मिलाया गया। कार्यवाही के दौरान श्री विनोद रावत व श्री दीपक सक्सेना के समक्ष परिवादियां श्री विष्णु कंवर पत्नी श्री भुपेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम कणोज तहसील व जिला केकडी ने आरोपी श्री रूप जी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन जिला अजमेर को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि अपने पास से 500-500 रूपये के 30 नोट, कुल 15,000 रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादियां द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किया जाकर उक्त नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने के लिए श्री चतुर्भुज सैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर रखकर उपरोक्त नोटो के दोनों ओर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर की जामा तलाशी श्रीमति रूचि, महिला कानि0 से लिवाई गई तो उसके पास स्वयं का मोबाईल फोन व एक पहचान पत्र के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही पाई गई। फिनोलफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को श्री चतुर्भुज सैन से परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर की सलवार सूट के उपर पहने कोटी के बाईं निचली जेब में रखवाई गई, तत्पश्चात् एक पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री चतुर्भुज सैन की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादियां तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया प्रदर्शित कर एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने

रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री चतुर्भुज सैन से फिकवाया एवं अखबार पर नोटो को रखकर पाउडर लगाया गया था, पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास को नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः श्री चतुर्भुज सैन से कार्यालय की अलमारी में रखवायी गई। परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर को हिदायत दी गई कि वह आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे। परिवादियां को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे देने के बाद अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस उप अधीक्षक/ श्री रविन्द्र सिंह कानिस्टेबल के मोबाईल फोन पर कॉल करके/मिस कॉल कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को बताया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादियां तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादियां के अलावा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आवश्यक खर्चे के लिए 3,500 रूपये अपने पास रखे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। विस्तृत फर्द पृथक से मूर्तिब की गई। श्री चतुर्भुज, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यवाही से पृथक कर फिनोफ्थलीन पाउडर को सुरक्षित रखने हेतु संभलाई गई। ट्रेप पार्टी तैयार की गई व कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण से अवगत कराया गया। समस्त हालात श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। तलविदा विडियोग्राफर मय आवश्यक उपकरण के श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह जाति राजपुत उम्र 61 वर्ष निवासी ए 294 चन्द्रबरदाई नगर, अजमेर। मो0न0 [redacted] हाजिर आए। उन्हे कार्यवाही में मय उपकरण के साथ चलने हेतु हिदायत दी गई। दिनांक 24.09.2024 समय 12०:15 पीएम पर मन् रूप सिंह, पुलिस उप अधीक्षक श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक, श्री कैलाश चारण हैड कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री किरण कुमार, श्रीमति रूचि उपाध्याय, श्री राजुराम कानि0, श्री प्रदीप सिंह परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर, गवाह श्री दीपक सक्सेना व श्री विनोद रावत मय् लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री व कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज, डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय् प्राइवेट वाहन, मय् विडियोग्राफर के पीसांगन तरफ रवाना होकर पीसांगन पहूंचे व परिवादियां को एक बार पुनः समझाईश की जाकर श्री रविन्द्र सिंह को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपूर्द कर परिवादियां विष्णु कंवर के साथ उपखण्ड कार्यालय पीसांगन तरफ पैदल रवाना किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक व हमरायान गोपनीयता बरतते हुए खडे रहे। कुछ समय पश्चात् श्री रविन्द्र सिंह ने जरिए मोबाईल फोन मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड डालकर ऑन कर सुपूर्दकर उपखण्ड कार्यालय पीसांगन में भेजा था, जो पुनः मेरे पास हाजिर आई। मैंने डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच आफ कर अपने पास रखा। परिवादियां ने मुझे बताया कि मैं उपखण्ड कार्यालय पीसांगन पहूंची। वहां कार्मिक श्री गिरधर गोपाल, पवन व अन्य व्यक्ति बैठे मिले। वहां मैंने श्री रूपजी के बारे में पूछा तो कहा रूपजी बाजार गया है। बातचीत के दौरान पवन ने कहा कि फाईल में नोटिस जारी कर दिए और कहा एसडीएम साहब का ट्रान्सफर हो गया। रूपजी वहां नहीं था। इसलिए मैं वहां से वापस आ गई। तत्पश्चात् श्री रविन्द्र सिंह ने जरिए मोबाईल फोन मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैंने श्रीमति विष्णु कंवर को श्री रूपजी से मोबाईल फोन पर वार्ता कर स्वयं के यहां आने के बारे में बताओं, तो विष्णु कंवर ने फोन करने से इन्कार कर दिया। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने भी मोबाईल फोन पर श्री रूपजी से वार्ता करने हेतु कहा तो प्रार्थियां ने कहा मैं फोन नहीं करूंगी। क्या पता वह बाजार से कब आएगा। शायद रूप जी उपखण्ड कार्यालय में आने पर रिश्वत राशि लेने की संभावना है, इसलिए उसका इन्तजार करने का निर्णय लिया गया। कुछ समय पश्चात् श्री रविन्द्र सिंह ने जरिए मोबाईल फोन मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि परिवादियां ने कहा कि आज रूपजी आएगा या नहीं। इसलिए वापस अजमेर चलना उचित होगा। इस पर परिवादियां स्वयं से मुलाकात कर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने पूछा तो परिवादियां ने कहा आज रूपजी के मिलने की संभावना नहीं हैं। एसडीएम साहब का ट्रान्सफर होना जानकारी में आया है, जो वहां मौजूद कर्मचारी ने बताया है। इसलिए रिश्वत राशि का लेनदेन आईन्दा होने की संभावना है। आज पुनः अजमेर चलना उचित होगा। हालात श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय जरिए मोबाईल अवगत कराया। समय 02०:25 पीएम पर मन् रूप सिंह, पुलिस उप अधीक्षक श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक, श्री कैलाश चारण हैड कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0, श्री किरण कुमार, श्रीमति रूचि उपाध्याय, श्री राजुराम कानि0, श्री प्रदीप सिंह परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर, गवाह श्री दीपक सक्सेना व श्री विनोद रावत मय् लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री व कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज, डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय् प्राइवेट वाहन, मय् विडियोग्राफर के उपखण्ड कार्यालय पीसांगन से रवाना होकर 04०:00 पीएम पर अजमेर कार्यालय हाजिर आया। विडियोग्राफर को रवाना किया। दिनांक 24.09.2024 की परिवादियां की पीसांगन उपखण्ड कार्यालय जाने के दौरान रिकार्ड हुई वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई, जो 05०:40 पीएम पर पूर्ण हुई। श्रीमति विष्णु कंवर ने बताया कि आगामी दिनों में रिश्वत राशि की लेनदेन होने की संभावना है। नया उपखण्ड अधिकारी के कार्यग्रहण करने या श्री रूपजी के द्वारा संपर्क होने पर लेनदेन होने की संभावना है। इसलिए परिवादियां से रिश्वत राशि 15,000 रूपये नगद गवाह श्री विनोद रावत से लिवाकर, गिनवाकर एक लिफाफे में सुरक्षित रखी गई। परिवादियां व गवाहान को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 30.09.2024 समय 09०:50

एएम पर श्रीमति विष्णु कंवर कार्यालय में हाजिर आई। विष्णु कंवर ने बताया कि पीसांगन उपखण्ड अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। नए उपखण्ड अधिकारी ने कार्यग्रहण किया या नहीं, मुझे पता नहीं। श्रीमति विष्णु कंवर ने राजस्थान सरकार कार्मिक (क-4) विभाग का आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/क-4/2024 दिनांक 23.09.2024 पेश कर बताया कि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन श्री रामकुमार टाडा का स्थानान्तरण हो चुका है। नए उपखण्ड अधिकारी तैनात होने पर मेरी कार्यवाही मे श्री रूप जी रिश्वत राशि ले सकता है। इस पर विष्णु कंवर से अग्रिम कार्यवाही के बारे में बातचीत कर श्री रूप जी से मोबाईल फोन पर वार्ता कराना तय कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में दिनांक 24.09.2024 को उपयोग मे लिया गया मैमोरी कार्ड डालकर रिकार्डर ऑन कर विष्णु कंवर के मो0न0 [redacted] से श्री रूप जी के मो0न0 [redacted] पर वार्ता कराई तो रूप जी ने पहले कहा- कौन। विष्णु ने कहा मैं आना चाहती हूं, तो कहा क्यूं। साहब का स्थानान्तरण हो गया आपको बताया था, आप उस दिन भी तो आई थी, फिर परिवदियां ने पूछा आप वहीं है, तो उसने कहा हां मैं यही हूं। परन्तु रिश्वत राशि के बारे में कोई वार्ता नहीं की। डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ कर सुरक्षित रखा गया। श्रीमति विष्णु कंवर ने कहा नए उपखण्ड अधिकारी के पीसांगन में कार्यग्रहण करने पर संभवतयाः रूप जी मेरे से रिश्वत राशि की लेनदेन कर सकता है। परिवादियां को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर कार्यालय से रवाना किया। दिनांक 07.10.2024 समय 10ः15 एएम पर श्रीमति विष्णु कंवर कार्यालय में हाजिर आई तथा बताया संभवतयाः आज श्री रूप जी रिश्वत राशि लेनदेन के बारे में मेरे से वार्ता कर सकता है। इसलिए कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में दिनांक 24.09.2024 व 30.09.2024 को उपयोग मे लिया गया मैमोरी कार्ड ही डालकर रिकार्डर ऑन कर विष्णु कंवर के मो0न0 [redacted] से श्री रूप जी के मो0न0 [redacted] पर वार्ता कराई तो रूप जी ने अन्य बातचीत के दौरान कहा साहब का ट्रान्सफर हो गया। उसने आज मिलने के लिए इन्कार कर दिया। वार्ता की आईन्दा गवाहान के समक्ष ट्रान्सक्रिप्ट बनाई जाएगी। डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ कर सुरक्षित रखा गया। श्रीमति विष्णु कंवर ने कहा नए उपखण्ड अधिकारी के पीसांगन में स्थानान्तरण होने व कार्यग्रहण करने पर संभवतयाः रूप जी मेरे से रिश्वत राशि की लेनदेन कर सकता है। परिवादियां को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई व रूख्सत की गई। दिनांक 15.10.2024 समय 11ः15 एएम पर श्रीमति विष्णु कंवर कार्यालय में हाजिर आई व बताया कि मेरे द्वारा उपखण्ड कार्यालय पीसांगन में पेश किए गए वाद में मेरे प्रार्थीगण श्री उमेश व हेमन्त ने अप्रार्थीगण से राजीनामा कर लिया व उनका मेरे द्वारा पेश किया गया वाद उन्होने उपखण्ड न्यायालय से राजीनामा कर दिनांक 08.10.2024 को न्यायालय में राजीनामा पेश कर दिया। इसलिए उपखण्ड कार्यालय पीसांगन में मेरी कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अब रूप जी के रिश्वत लेने की कोई संभावना नहीं है। इस पर विष्णु कंवर को बताया कि पूर्व में रिकार्ड की गई वार्ताओं की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करना है। इसमें समय की आवश्यकता है। इस पर श्रीमति विष्णु कंवर ने कहा कि आज मेरे अन्य न्यायालय में आवश्यक काम है। इसलिए मैं दिनांक 21.10.2024 को इस कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगी। परिवादियां को कार्यालय से रूख्सत किया गया। दिनांक 21.10.2024 पर श्रीमति विष्णु कंवर कार्यालय में हाजिर आई तथा बताया कि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के पद पर श्री राजीव बडगुजर को तैनात किया गया है। विष्णु कंवर ने राजस्थान सरकार कार्मिक (क-4) विभाग का आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/क-4/2024 दिनांक 07.10.2024 पेश किया। श्रीमति विष्णु कंवर ने बताया कि मेरे वाद के प्रार्थीगण द्वारा राजीनामा कर न्यायालय में राजीनामा करने से अब रूप जी द्वारा रिश्वत लेने की कोई संभावना नहीं है। मैं मेरे द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि को वापस लेना चाहती हूं। मामले में पूर्व में हुई वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करना है, इसलिए बतौर गवाह के रूप में श्री विनोद रावत व श्री दीपक सक्सेना को कार्यालय में उपस्थित होने जरिए मोबाईल फोन वार्ता कर पाबंद किया गया, जो कार्यालय में हाजिर आए। श्रीमति विष्णु कंवर ने बताया कि मैं मेरे द्वारा दिनांक 24.09.2024 को पेश की गई 15,000 रूपये रिश्वत राशि वापस लेना चाहती हूं। श्रीमति विष्णु कंवर ने इस बारे में पृथक से एक लिखित रिपोर्ट भी पेश की गई। दोनो गवाहान के समक्ष श्रीमति विष्णु कंवर को उसके द्वारा पेश किए गए रिश्वती राशि के रूप में पेश किए गए 15,000 रूपये गवाहान के समक्ष झडक-झडककर विष्णु कंवर को सुपुर्द कर मूल प्रार्थना पत्र पर ही प्राप्ति रसीद ली गई। तत्पश्चात् गवाहान श्री दीपक सक्सेना व श्री विनोद रावत व परिवादियां विष्णु कंवर के समक्ष दिनांक 30.09.2024 व 07.10.2024 को मोबाईल फोन पर हुई वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट की कार्यवाही समय पर पूर्ण हुई। कार्यवाही का तैयारशुदा मैमोरी कार्ड का सिल्डशुदा पैकेट जमा मालखाना कराया गया। संपूर्ण कार्यवाही से पाया कि परिवादियां विष्णु कंवर एक अधिवक्ता है। उसने अपने प्रार्थीगण श्री उमेश व हेमन्त का एक वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 17.09.2024 को दुर्गादेवी वगैरह के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 की तहत वाद व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 181 के तहत निषेधाज्ञा हेतु एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड कार्यालय पीसांगन जिला अजमेर के न्यायालय में पेश किया। इस कार्यवाही में निषेधाज्ञा जारी करने में मदद करने के लिए वहां कार्यरत श्री रूप जी नामक कर्मचारी ने श्रीमति विष्णु कंवर से 30,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। परिवादियां द्वारा कार्यवाही हेतु एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 18.09.2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर को पेश की गई। रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराया तो उपखण्ड कार्यालय पीसांगन में तैनात श्री रूप जी ने परिवादियां श्रीमति विष्णु कंवर से 30,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15,000 रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। कार्यवाही के दौरान दिनांक

23.09.2024 को उपखण्ड अधिकारी पीसांगन का स्थानान्तरण हो गया। उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के पद पर उपखण्ड अधिकारी की पुनः नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 07.10.2024 को की गई। श्रीमति विष्णु कंवर के वाद के प्रार्थीगण श्री उमेश व हेमन्त ने अप्रार्थीगण से आपस में राजीनामा कर लिया तथा दिनांक 08.10.2024 को उपखण्ड कार्यालय पीसांगन में राजीनामा पेश कर दिया। इसलिए रिश्वत राशि लेनदेन की संभावना नहीं होने से श्रीमति विष्णु कंवर के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करने पर 15,000 रूपये रिश्वत राशि पुनः लौटाकर रसीद प्राप्त की गई। उपखण्ड कार्यालय पीसांगन जिला अजमेर से प्राप्त सेवा विवरण के आधार पर श्री रूप जी का पूर्ण नाम पता श्री रूप सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री दलपत सिंह निवासी मुकाम पोस्ट कंवलाई वाया कडैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उपखण्ड कार्यालय पीसांगन जिला अजमेर होना पाया गया। परिवादियां ने दौराने कार्यवाही आरोपी का नाम श्री रूप जी बताया था। श्री रूप सिंह राठौड उर्फ रूप जी पुत्र स्व. श्री दलपत सिंह उम्र 47 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट कंवलाई वाया कडैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तैनात उपखण्ड कार्यालय पीसांगन ने परिवादियां विष्णु कंवर के जायज काम के लिए रिश्वत राशि की मांग की, जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का अपराध है। अतः श्री रूप सिंह राठौड उर्फ रूप जी के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निवेदन है। भवदीय, (रूप सिंह) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रूप सिंह ,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रूप सिंह राठौड उर्फ रूप जी पुत्र स्व. श्री दलपत सिंह निवासी मुकाम पोस्ट कंवलाई वाया कडैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उपखण्ड कार्यालय पीसांगन जिला अजमेर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती वंदना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.अजमेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 212 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1647-50 दिनांक 19-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2- जिला कलक्टर,अजमेर । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vandana bhati **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]2/2024 1[illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)